

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक :

—: आदेश :—

26 AUG 2015

सुश्री मुकेश कुमारी, नर्स ग्रेड-II, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 41/2012 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.1.2045 के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम-27 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए “आउट ऑफ टर्न” के आधार पर नियमानुसार किया गया पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या एफ-135, गांधीनगर (स्वतंत्र) का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—  
शर्तें :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किया गया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किया गया अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन रक्षीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किया गया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/घनि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर्य नहीं किया है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

✓  
(निर्मला परचवानी)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
4. निदेशक, निदेशालय विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग को डायरी संख्या 400/एम/जीएडी/15 दिनांक 11.8.2015 के क्रम में।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्राम सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, साठनी०वि०/जन स्वा० अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्चा करावें।
10. संबंधित कर्मचारी।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

✓  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक :

—: आदेश :—

26 AUG 2015

श्रीमती सरोज, कनिष्ठ लिपिक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 150/2013 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.7.2046 के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम-27 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या 5-ए-11, गौंधीनगर (बहुमंजिला) का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-  
शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कर्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञाय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर्य नहीं किया है।
  8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।
  9. आवंटी से 'कॉमन सुविधा शूल्क' के पेटे राशि रुपये 75/- (अक्षरे पिचेत्तर रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
4. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग को डायरी संख्या 400/एम/जीएडी/15 दिनांक 11.8.2015 के क्रम में।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
- प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशासी अभियन्ता, साठनिविंवि/जन स्वाठा अभिविवि/जयपुर विविविनिगम लिंग, गौंधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौंधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्पा करावें।
10. संबंधित कर्मचारी।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र / 2 / 15

जयपुर, दिनांक : 26 AUG 2015

—: आदेश :—

श्री लालाराम मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कॉलेज शिक्षा निदेशालय, जयपुर को उनकी एवं श्रेणी की वरियता संख्या 8/2001 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2026 के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम-27 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए “आउट ऑफ टर्न” के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या एच-859, गौंधीनगर जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास रथान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर रथानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदरथापन रथान पर निजी आवास बन जाने/कर्य करने की रिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल रिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदरथापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर्य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग को डायरी संख्या 400/एम/जीएडी/15 दिनांक 11.8.2015 के क्रम में।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशासी अभियन्ता, साओनिविं/जन स्वातं अभिविं/जयपुर विविविनिगम लिंग, गौंधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौंधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्पा करावें।
10. संबंधित कर्मचारी।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्राली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव